आर.खरे
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
KHARE
I.F.S.
pal Chief Conservator of Forest's M.P.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,मध्यप्रदेश
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
O/o Principal Chief Conservator of Forest's, M.P First Floor, Satpura Bhawan, Bhopal
Tel (Office) 0755-2674200 (Resi) 0755- 2674201 Fax- 0755-
E-mail pccfmpr.ediffmail.com
अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक / D.O.No F.S.-५५८
दिनांक /Dated 23 ... 07

प्रिय श्री

विषयः--वर्ष 2006 के द्वितीय छःमाही के वन अपराधो की समीक्षा ।

जुलाई 2006 से दिसम्बर 2006 के बीच आपके वृत्त के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गये वन अपराधों की समीक्षा में जो अनुभव हुए है उनके आधार पर निम्नानुसार बिन्दुओ पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है:–

1. आपके वृत्त में आलोच्य वर्ष मे काफी मात्रा में अवैध कटाई, अतिक्रमण, अवैध शिकार, अवैध उत्खनन एवं आरामशीनों की अवैध गतिविधियों के 1778 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। अतः वन अपराधों की रोकथाम हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

2. आलोच्य अवधि में वन अपराधों की जॉच एव अभिसंधान की स्थिति में सुधार हुआ है तथा जॉच/अभिसंधान के अभाव में कालातीत होने वाले प्रकरणों की संख्या में भी कमी आई है। समय से प्रकरणों का निराकरण एवं कालातीत न होने देना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिये लगातार प्रयास जारी रहने चाहिए ।

3. न्यायालयों मे प्रकरणों के चालान की स्थिति में काफी सुधार हुआ हैं परन्तु अभी भी समय से कोर्ट में चालान न होने के कारण 44 प्रकरण कालातीत हुये है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। [illegible]

4. वर्तमान मे वन अपराधो के लिये आगम वसूली की छूट दी गई है तथा संचार सुविधाओं का विकास भी पर्याप्त मात्रा मे कर दिया गया है, फिर भी काफी मात्रा में प्रशमन के पश्चात की रू० 2.51 लाख वसूलनीय धनराशि वसूली हेतु शेष है। इसमें विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

5. समीक्षा में यह पाया गया हैं कि वाहनों के राजसात की प्रकिया में काफी विलम्ब हो रहा है, क्योंकि अभी भी 9 प्रकरण लम्बित हैं । छैमाही में निराकृत 8 प्रकरणों में 7 वाहन छोड़ दिये गये हैं । इससे स्पष्ट है कि आप अपने स्तर से ऐसे प्रकरणो की समीक्षा नही कर रहे है तथा न ही ऐसे प्रकरणों में होस्टाइल हो गये शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही ही की जा रही है। यह स्थिति उचित नही है। आप अपने स्तर

से मुक्त वाहनो के प्रकरणों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लें । यदि किसी शासकीय कर्मचारी, जो उक्त प्रकरण में साक्षी था, के होस्टाइल होने के कारण वाहन मुक्त हुआ है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए ।

6. विभागाध्यक्ष स्तर पर 6–माह में वन सुरक्षा प्रयासों की समीक्षा के पूर्व वन संरक्षक स्तर पर प्रत्येक 2 माह में तथा वन मण्डल स्तर पर प्रति माह समीक्षा सुनिश्चित की जावे तभी सम्पूर्ण व्यवस्था सार्थक होगी।

7. प्रचलित गर्म सीजन मे अंगार से वन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जावें । इस कार्य मे वन समिति के माध्यम से अधिक से अधिक ग्रामीणों को शामिल किया जाना चाहिए ।

8. आदिवासी अतिक्रामको के वन भूमि अतिक्रमण व्यवस्थापन के प्रचार के कारण वन भूमि पर नये अतिक्रमण होने की घटनायें बढ़ने की सम्भावना हो सकती है अथवा वन क्षेत्रों में पूर्व से बेदखल किये गये अतिकामक पुनः अतिक्रमण का प्रयास उसी भूमि पर अथवा नयी भूमि पर कर सकते है । इस दिशा मे सभी अधिनस्थ कर्मचारियो को सावधान किया जावें समूह बनाकर गश्ती बढ़ायी जावें । वन क्षेत्रो में नये अतिक्रमण नहीं होने दिया जावे तथा पुराने बेदखल किये गये लोग पुनः वन क्षेत्रों में कब्जा न कर सके, इस हेतू कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की सहायता से भी वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को पूरी सख्ती से रोका जावें । इस बाबत् शासन द्वारा प्रसारित निर्देश दिनांक 02.04.2007 की प्रति त्वरित एवं सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2007–08 में राज्य के वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं विकास के कार्यो में वन विभाग उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा । निदेशों से सभी अधिनस्थ अधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

23/5

(व्ही0 आर0 खरे)

प्रति,

श्री ओ. पी. खरे,
वन संरक्षक,
बालाघाट वृत्त बालाघाट,
म0प्र0